न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 82/2020
प्रविष्टि दिनांक 9–12–2020

अली हुसैन पुत्र कमरूद्दीन आयु 35 वर्ष निवासी इस्लामपुरा थाना डिग्गी जिला–टोंक
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार
–विपक्षी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक प्रथम सूचना सं0 169/2020 थाना बरोनी जुर्म अन्तर्गत धारा 3,5,8,9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960

उपस्थिति : (1) श्री सलीम नकवी अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 9–12–2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत एस0बी0कि0मिस0 पिटिशन नं0 5644/2020 अली हुसैन पुत्र कमरूद्दीन उम्र 35 साल निवासी इस्लामपुरा थाना डिग्गी जिला–टोंक बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश की प्रति संलग्न कर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया गया है कि पुलिस थाना बरोनी ने दिनांक 17–6–2020 को वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) में 36 अवैध गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर **वाहन** जप्त कर गोवंश को दामोदर गौशाला निवाई मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये गये थे। जिसके बाबत श्रीमान द्वारा दिनांक 28–10–2020 को आदेश पारित कर निर्देश दिये गये थे कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि थानाधिकारी बरोनी को प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर [illegible] याचिका पेश की थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार [illegible] आदेश को पूर्णतः खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी अंकित किया कि प्रार्थी [illegible] कार्य–अपराध उसके ज्ञान के बिना इस तरह के उपयोग में लिया जा रहा था। जबकि प्रार्थी ने [illegible] वाहन [illegible] अशोक कुमार रैगर को [illegible] पर तीन माह की अवधि के लिए दिनांक 26–5–2020 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

देकर वाहन संभला दिया था, तथा ठेकेदार की कस्टेडी से वाहन को जप्त किया गया था। प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पॉच लाख रूपये की निजी जमानत पेश करने को तैयार है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर के आदेश की पालना की जाकर प्रार्थी के वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने की तहरीर जारी फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बछडों को विधिवत रूप से कय नही कर ट्रक मे अव्यवस्थित रूप से भरकर पैरों को बॉध कर ले जाया जा रहा था। जिनमें से 2 बछड़े मृत पाये गये तथा शेष 34 बछड़ो को थानाधिकारी बरोनी द्वारा वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) में 36 गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है तथा प्रार्थी का वाहन पूर्व में भी एफ0आई0आर0 नम्बर 741/2020 पुलिस थाना फागी जिला–जयपुर में इसी अधिनियम के तहत जप्त हो चुका हैं, जिसे प्रार्थी ने स्वंय ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया था। श्रीमान द्वारा आदेश दिनांक 28–10–2020 पारित किया गया है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि थानाधिकारी बरोनी को प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी ने उक्त जप्त शुदा वाहन नम्बर आर0जे0–11 जी बी 5779 ट्रक (कन्टेनर) को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके साथ वाहन को ठेके पर देने का इकरारनामा व माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एस0बी0कि0मिस0 पिटिशन नं0 5644/2020 अली हुसैन पुत्र कमरूद्दीन उम्र 35 साल निवासी इस्लामपुरा थाना डिग्गी जिला–टोंक बनाम राजस्थान सरकार मे पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 की प्रति पेश की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20–11–2020 का आपरेटिव पार्ट निमनानुसार है:–

a) The concerned Police Station shall release the offending vehicles - Truck bearing Registration No.RJ-11-GB-5779 to the person, who is the registered owner of the said vehicles.

b) A personal security of an amount of Rs.5,00,000/- to the satisfaction of the concerned Court to which the concerned Police Station is attached, shall be submitted by the petitioner for the purpose of release of the vehicles.

c) The petitioner shall fürnish the photographs of the vehicles showing their numbers and colour etc.

d). At the time of release, the petitioner shall also give an undertaking to the effect that vehicle shall not be used for any illegal purpose and if so found, the concerned owner shall be personally liable.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

The order passed by the Court below is accordingly quashed and set aside.

However, it is made clear that if vehicle(s) has been confiscated under the relevant provisions of the Act, then said vehicle(s) shall not be released by the concerned Magistrate. Keeping in view of law laid dnwn in the case of Laxman Versus State of Rajasthan: DB Criminal Misc. Petition No.60/2018

माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर नें आदेश दिनांक 20.11.2020 द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2020 को अपास्त कर दिया है और अब माननीय न्यायालय के आदेश में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाहन को रिलीज करने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जिससे सम्बन्धित पुलिस थाना संबंद्व है, द्वारा की जानी है। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत एस0बी0कि0मिस0 पिटिशन नं0 5644/2020 में प्रदत्त आदेश दिनांक 20–11–2020 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रार्थी अपने वाहन को रिलीज करवाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर सकते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के मध्यनजर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner